न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1316 / 2005 / बांसवाड़ा

1— श्री दलहेंग पुत्र श्री भीमा भील निवासी कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।
2— श्री भलजी पुत्र श्री भीमा भील
3— श्री जोगी पुत्र श्री दलहेंग भील
4— श्रीमति भूरी पत्नि दलहेंग
5— श्रीमति राजू पत्नि जोगा भील
समस्त निवासीयान महुआल कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

श्री लिमजी पिता गलू भील (मृतक) जरिये विधिक वारिसानः—
1— श्रीमति हंका बेवा लिमजी जाति भील निवासी महुआल कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ जिला बासवाड़ा।
2— श्री बदर पुत्र लिमजी जाति भील निवासी कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ जिला बासवाड़ा।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—
1—श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2—श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

——

निर्णय

दिनांकः 27—07—2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा द्वारा अपील सं0 441 / 2003 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण के पति व पिता लिमजी ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 ए, 183, 188 एवं 209 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं0 358 व 364 वाकै मौजा कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित होकर वादी की खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि उसने प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता भीमा भील से दिनांक 23—01—1973 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त क्रय के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 85 दिनांक 15—06—1973 स्वीकृत किया जाकर उक्त खेत वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया। भीमा की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व से प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने लगे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरूद्ध वर्ष 1998 में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो अदम हाजरी में खारिज हो गया। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण ने वर्ष 1998 में ही खसरा नं0 364 के सम्पूर्ण भाग पर जबरन कब्जा कर लिया एवं खसरा नं0 358 पर भी कब्जा करने पर आमादा है। अतः 1998 में प्रस्तुत वाद में गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने के कारण एवं प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं0 358 पर जबरन कब्जा कर लिए जाने के कारण यह बेदखली का वाद पेश किया जा रहा है, जिसे स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया, जिन्होंने जवाब पेश कर वाद के कथनो से इन्कार किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय नें अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31—05—2002 द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अपसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30—12—2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा का निर्णय साक्ष्य, अभिवचनों व दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि प्रत्यर्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं था, क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में एक वाद समान आधार पर घोषणात्मक व निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसे बाद में संशोधित कर उसमें बेदखली का भी अनुतोष चाहा गया, जो वाद दिनांक 27—10—99 को प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया, प्रत्यर्थीगण द्वारा बाजदायरी पेश नहीं की गई व न ही प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 8 व आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हीं आधारों पर पेश किया गया वाद पोषणीय नहीं था। उनका तर्क था कि उन्होंने इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पेश किए उन्हें अनदेखा करते हुए निर्णय प्रदान किया। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि कथित बेचाननामा, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी अपने खातेदारी व काश्तकारी अधिकार होने की बात कहते है, वह असल बेचान नामा न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं किया गया और जो प्रतिलिपि पेश की गई वह किसी भी प्रकार से साक्ष्य में ग्राहय नहीं थी। उनका यह भी तर्क था कि ग्राम पंचायत को दिनांक 15—06—1973 के नामान्तरकरण को तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था तथा प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण जो नामान्तरकरण खोला गया था वह विधि विरूद्ध था इस कारण इस आधार पर व विशेष कर केवल नामान्तरकरण के आधार पर कोई टाईटल प्रत्यर्थी का नहीं माना जा सकता। भौतिक कब्जे को देखना आवश्यक है। उनका यह भी कथन था कि वाद स्पष्ट रूप से मियाद बाहर था। अन्त में उन्होंने कथन किया कि तनकियात का विवेचन एवं विश्लेषण गलत रूप से किया है। अन्त में उन्होंने

निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें।

5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित व विधिसम्मत है तथा समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधाार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपने निर्णय प्रदान किए है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायलायों की पत्रावलियों का अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम, प्रत्यर्थीगण के पति व पिता लिमजी ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 ए, 183, 188 एवं 209 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं0 358 व 364 वाकै मौजा कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित होकर वादी की खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि उसने प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता भीमा भील से दिनांक 23—01—1973 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त क्रय के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 85 दिनांक 15—06—1973 स्वीकृत किया जाकर उक्त खेत वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया। भीमा की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व से प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने लगे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरूद्ध वर्ष 1998 में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो अदम हाजरी में खारिज हो गया। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण ने वर्ष 1998 में ही खसरा नं0 364 के सम्पूर्ण भाग पर जबरन कब्जा कर लिया एवं खसरा नं0 358 पर भी कब्जा करने पर आमादा है। अतः 1998 में प्रस्तुत वाद में गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने के कारण एवं प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं0 358 पर जबरन कब्जा कर लिए जाने के कारण यह बेदखली का वाद पेश

किया जा रहा है, जिसे स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया, जिन्होंने जवाब पेश कर वाद के कथनो से इन्कार किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय नें अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2002 द्वारा वादी के वाद को डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

8– अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रलेखिय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करायेः नकल जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी 2034 से 37 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण संख्या 85 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी 2055 से 2058 प्रदर्श–4, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055 से 2058 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी (खतौनी) 2047 से 2050 प्रदर्श–7, प्रतिवादी के विरूद्ध की गई चार्ज शीट प्रदर्श 8, नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–9, नकल जुर्म स्वीकारोक्ति प्रदर्श–10, फर्द निरीक्षण घटना स्थल प्रदर्श–11, एवं नकल निर्णय ए.सी.जे.एम कोर्ट प्रकरण संख्या 320–99 प्रदर्श–12 प्रस्तुत किये। जबकि मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी लिमजी के बयान पी.डब्लू 1, तथा हरजी पी.डब्लू 2, के कलमबद्ध करवाये। प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से प्रलेखिय साक्ष्य के रूप में नकल निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवायेः प्रोसिडिंग प्रकरण 6–98 प्रदर्श 1, नकल संशोधित वाद पत्र प्रदर्श ए –2, नकल राजस्व वाद पत्र प्रदर्श ए–3, नकल जवाब दावा प्रदर्श ए–4, नकल तनकीयात प्रदर्श ए–5 नकल आवेदन पत्र प्रदर्श ए–6, जवाब आवेदन पत्र प्रदर्श ए–7, नकल प्रार्थना पत्र प्रदर्श ए–8 व प्रदर्श ए–9 प्रस्तुत किये। मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं प्रतिवादी दलहेंग डी.डब्लू 1,

अन्य गवाह गलिया डी.डब्लू 2 के बयान कलम बद्ध कराये। वाद बिन्दु अनुसार विवेचन निम्नानुसार हैः

वाद बिन्दु संख्या 1: क्या गांव कलिंजरा पटवार हल्का कलिंजरा की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.58 एकड़ एवं सर्वे नंबर 364 रकबा 3 एकड़ का खातेदार व काबिज काश्तकार वादी होकर उसके द्वारा सर्वे नंबर 364 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता से पंजिकृत विलेख से खरीद कर उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में है।

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर इस वाद बिन्दु को वादी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में निर्णित किया है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 व प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 के अनुसार वर्तमान विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 358 व 364 वादी लीमजी पुत्र कालू भील के खातेदारी में अंकित है। इस तथ्य की पुष्टि नामान्तकरण संख्या 85 जो कि प्रदर्श–3 है से भी होती है। जिसके अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 364 पूर्व में भीमा पुत्र जाला भील (जो हाल अपीलान्ट 1 व 2 का पिता) के खातेदारी में दर्ज थी। तथा उसके द्वारा चार सौ रूपये में उक्त भूमि का बेचान रजिस्ट्री संख्या 20 दिनांक 6–2–1973 द्वारा वादी लिमजी के पक्ष में किये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.6.1973 को नामान्तकरण लिमजी के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि नकल विक्रय पत्र से भी होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रलेखिय साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय वादी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में किया है वह विधि सम्मत होने के कारण हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिन्दु संख्या 1 का निर्णय विधि एवं तथ्य अनुरूप है।

वाद बिन्दु संख्या 2: क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खेतों में वादी की शांतिपूर्ण काश्त में अनाधिकार हस्तक्षेप कर भविष्य में काश्त नही करने की धमकी देते है। एवं खसरा संख्या 364 में वर्ष 1998 के दौरान क्रमशः 18.6.1998 एवं 24.1.1998 के रोज अवैधानिक रूप से अतिक्रमण

कर बलपूर्वक कब्जा कर लिया तथा मकान कच्चा टापरा बना दिया है जिससे वह बेदखली का पात्र है।

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी रेस्पोन्डेन्ट पर था। खसरा संख्या 364 पर दिनांक 24.1.1998 को 0.04 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा टापरा बना लेने तथा दिनांक 18.6.1998 को सम्पूर्ण खसरा नम्बर 364 पर जबरन कब्जा कर लेने के संदर्भ में वादी द्वारा प्रदर्श–8 अंतिम परिणाम की नकल, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श–9, प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति प्रदर्श–10 व प्रदर्श–12 नकल निर्णय ए.सी.जे.एम कुशलगढ़ दिनांक 6.10.2001 प्रस्तुत किया। उक्त निर्णय में हाल अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.6.1998 को वादी के खेत खसरा संख्या 364 पर जबरन कब्जा कर लेने का तथ्य स्वीकार किया है। यद्यपि यह निर्णय फौजदारी न्यायालय का है। परन्तु उक्त निर्णय में हाल अपीलान्टगण की स्वीकारोक्ति है जिसकी पुष्टि प्रदर्श–10 से होती है। प्रदर्श–10 नकल प्रार्थना पत्र जो हाल अपीलान्टगण के द्वारा उक्त फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है इसमें उन्होंने जुर्म स्वीकार करने का कथन अंकित किया है। जहां तक जुर्म क्या था इस तथ्य के लिए प्रदर्श–9 नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसमें वादी रेस्पोन्डेन्ट ने यह प्रथम सूचना दिनांक 18.6.1998 को धारा 147, 447 व 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराकर यह आरोप लगाया कि आज सुबह कीरब 8 बजे मेरे उक्त खेत नामी पालवा के भीमा पुत्र जाला, दलहेंग पुत्र भीमा, बगजी पुत्र भीमा, श्रीमती भूरी पत्नी दलहेंग, जोगी पुत्र दलहेंग निवासी कालिंजरा से अपने साथ हल बेल लेकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर खेत हांकने लगे अर्थात प्रदर्श 9 में अंकित इस आरोप को अपीलान्टगण ने प्रदर्श 10 प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति के द्वारा न्यायालय ए.सी.जे.एम. कुशलगढ़ के सामने स्वीकार किया है। जिसका विवेचन प्रदर्श 12 नकल निर्णय दिनांक 6.10.2001 में अंकित है। अर्थात भले ही यह निर्णय व दस्तावेज फौजदारी प्रकरण से संबंधित है। लेकिन हाल अपीलान्टगण खसरा नंबर 364 में दिनांक 18.6.1998 को जबरन कब्जा करने के तथ्य पर दी गई अपनी स्वीकृति से एस्टोप्ड् है। अतः 18.6.1998 को विवादित

खेत खसरा नंबर 364 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का तथ्य बखूबी साबित होता है। इसी तरह दिनांक 24.1.1998 को जबरन टापरा बनाने का जहां तक कथन है उसे भी अपीलान्टगण ने स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 2 को वादी के पक्ष में ठोस दस्तावेजों के आधार पर निर्णित किया है जो तथ्य एवं विधि अनुरूप है जिससे हम सहमत है।

वाद बिन्दु संख्या 3: क्या वादग्रस्त खेतों के बाबत प्रतिवादीगण को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी प्रकार से दण्डित किया है इसका वाद पर क्या प्रभाव है।

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर था। इसके संदर्भ में हमने वाद बिन्दु संख्या 2 में विस्तृत विवेचना की है। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति चाहे वह फौजदारी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष की गई है, ऐसी स्वीकारोक्ति से प्रतिवादी एस्टोप्ड् है। क्योंकि उनकी स्वीकारोक्ति कब्जा करने के बिन्दु पर है और उक्त बिन्दु इस वाद में बहुत अहम है। फौजदारी न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में विवादित भूमि स्वत्व अधिकारों का परीक्षण नहीं किया है न ही इस पर अपना कोई निर्णय दिया है। बल्कि उक्त निर्णय तो वादी के विवादित खेत पर प्रतिवादी के द्वारा जबरन कब्जा करने के तथ्य की स्वीकृति के आधार पर पारित निर्णय है। ऐसी स्थिति में इस दावे में भी उक्त दावों में प्रस्तुत स्वीकारोक्ति को साक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशलगढ़ ने जरिये प्रदर्श 12 द्वारा निर्णय दिनांक 6.10.2001 पारित किया व स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दलहेंग, भलजी व श्रीमती भूरी को अपराध धारा 447, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोष सिद्व किया व आपराधिक परीविक्षा अधिनियम, 1998 की धारा 3 के तहत प्रताडित कर छोड़ा जाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त प्रत्येक पर रूपये चालिस अभियोजन व्यय लगाया। और अब अपीलान्टगण उक्त स्वीकारोक्ति के विरूद्ध जो कथन कहकर आये है कि उनका कब्जा 44 वर्षो से है, सही नहीं माना

जा सकता है। अतः यह वाद बिन्दु भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि एवं तथ्य अनुरूप किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाद बिन्दु संख्या 4: क्या वादग्रस्त खेतों के बाबत वादी द्वारा इसी न्यायालय में कोई वाद संख्या 6/98 पेश किया था जो अदम हाजरी में निरस्त कर देने के कारण से बार्ड बाई लॉ होने से निरस्ती योग्य है। जो इन्हीं पक्षकारों के मध्य लम्बित रहा था। इसका इस वाद पर क्या प्रभाव है।

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने अपने इस वाद बिन्दु के समर्थन में अधीनस्थ न्यायलाय में प्रदर्श ए.1 से प्रदर्श ए.9 प्रस्तुत किये है। इन दस्तावेजों के अवलोकन से एवं विशेष रूप से प्रदर्श ए.3 से पूर्व दावा 6/98 हाल वादी लिमजी द्वारा हाल प्रतिवादीगण के विरूद्ध ही किया गया था परन्तु उक्त दावा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत किया गया था। जिसमें उसने करीब एक माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के साथ झगड़ा करने का तथ्य अंकित किया है। जबकि वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में निरन्तर अनाधिकार रूप से दिनांक 24.1.98 से निरन्तर हस्तक्षेप करते चले आ रहे है। अर्थात स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में वादकारण एक ही पक्षकार को एक ही अन्य व्यक्ति के विरूद्ध बार बार उत्पन्न होता है। जबकि बेदखली के वाद में एक बार ही वादकारण उत्पन्न होता है। अतः निश्चित रूप से इस प्रकरण में जो वाद कारण वादी रेस्पोन्डेन्ट ने बताया वह पूर्व वाद संख्या 6/98 में बताये गये वाद कारण से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि वर्तमान दावा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नंबर 364 से प्रतिवादीगण की बेदखली के लिए ही किया गया है जबकि पूर्व दावा बेदखली का नहीं था। ऐसी स्थिति में दोनों दावों में समान वादकारण नहीं माना जा सकता है। प्रथम वाद कब्जे लेने की कोशिश बाबत था जबकि वर्तमान वाद कब्जा करने के बाद बेदखली बाबत है। अतः दोनों वादों का वादकारण भिन्न होने के कारण इस वाद में रेस ज्यूडिकेटा लागू नहीं

होगा। इस प्रकार इस तनकी के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वाद बिन्दु संख्या 5: क्या वाद वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध म्याद बाहर है।

इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादकारण उत्पन्न होने की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा वादी के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने की घटना के बाद उस पर जबरन कब्जा भी कर लिया है। ऐसी स्थिति में बेदखली का वाद आवश्यक हो गया है और बेदखली के मामले में दावा दायर करने की अवधि 12 वर्ष है। जबकि वर्तमान दावा 4 वर्ष बाद ही कर दिया गया है। इस कारण से उक्त बेदखली का वाद म्याद बाहर नहीं माना जा सकता है। बेदखली के दावे में बेदखली की डिक्री जारी करने की दशा में स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकती है। अतः यह वाद बिन्दु भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सही तौर से विधि अनुरूप निर्णित किया है।

अनुतोषः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री जारी की है वह तथ्यों के एवं विधिक प्रावधानों के अनुकुल है और यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

8— उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम यह द्वितीय अपील खारिज किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर केम्प बांसवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(रवि डांगी)
सदस्य